राजस्थान सरकार

आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः एफ4 (83)आकाशि / नि.सं. / 1965 / 1011

दिनांकः– 20.05.19

आदेश

राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 तथा तत्संबंधी नियम, 1993 एवं राज्य सरकार द्वारा जारी अद्यतन निजी महाविद्यालय नीति के अन्तर्गत सत्र 2019–20 से स्नातकोत्तर स्तर पर पूर्वसंचालित एवं नवीन विषयों में स्थाई अनापत्ति प्रमाण–पत्र निम्नलिखित शर्तो के साथ प्रदान किया जाता है:–

संचालक संस्था	महाविद्यालय का नाम	सम्बद्धक विश्वविद्यालय	विषय
श्री भगवानदास तोदी चेरिटेबल ट्रस्ट, महाराष्ट्र, मुम्बई।	श्री भगवानदास तोदी कॉलेज, लक्ष्मणगढ़, सीकर।	पं0 दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर।	स्नातकोत्तर विज्ञान संकाय– गणित(पूर्व संचालित)। वनस्पतिशास्त्र, रसायनशास्त्र(नवीन)

1. संस्था प्रत्येक सत्र में निर्धारित अवधि में नियमानुसार मय वार्षिक शुल्क आवेदन करेंगी।
2. आवश्यकतानुसार आयुक्तालय द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा महाविद्यालय का निरीक्षण किया जा सकेगा तथा संस्था अधिकृत अधिकारी द्वारा चाहा गया अभिलेख उपलब्ध करायेगी।
3. संस्था को समय–2 पर यू.जी.सी. / राज्य सरकार / आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा द्वारा जारी निर्देशों की पालना अनिवार्य रूप से करनी होगी।
4. संस्था संबंधित विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त करेगी तथा विधि महाविद्यालय के प्रकरण में बी0सी0आई0 से मान्यता व विश्वविद्यालय से संबद्धता पर अनुमोदन प्राप्त करेगी। तत्पश्चात् ही विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाये।
5. संस्था को दो वर्ष की अवधि में NAAC से मूल्यांकन करवाना अनिवार्य होगा।
6. संस्था द्वारा सावधि जमा राशि (एफ.डी.आर.) का प्रत्येक 5 वर्ष में नवीनीकरण कराया जाना अनिवार्य होगा ।
7. संस्था महाविद्यालय में अध्यापन कार्य हेतु यू.जी.सी. अर्हताधारी प्राचार्य एवं व्याख्याताओं तथा निर्धारित मानदण्डानुसार अशैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति के साथ–2 अन्य निर्धारित शर्तो की पालना करेगी ।
8. राज्य सरकार संस्था को वर्तमान व भविष्य में इस हेतु कोई वित्तीय सहायता नहीं देगी ।
9. संस्था संकाय व विषयवार सीटों का आवंटन विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त कर, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा विभाग को सूचित करेगी तथा महाविद्यालय तदनुसार तय संख्या सीमा में ही प्रवेश दिया जाना सुनिश्चित करेगा।
10. राज्य सरकार की निजी महाविद्यालय नीति 2019–20 तथा बाद में जारी होने वाली नीतियों का पालन करना होगा।
11. संस्था प्रति वर्ष विभाग की वेबसाइट **www.hte.rajasthan.gov.in** से सांख्यिकी पुस्तिका एवं महाविद्यालय विवरणिका प्राप्त कर निर्धारित अवधि में पूर्ण सूचनायें भरकर आयुक्तालय को भेजेगी।
12. मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के वेवपोर्टल aishe.nic.in पर महाविद्यालय को रजिस्टर करवाकर DCF- II (Data Capture format) भरकर प्रतिवर्ष अपलोड करना अनिवार्य होगा । महाविद्यालय इसकी हार्ड कॉपी आगामी 15 दिवस में आयुक्तालय में प्रस्तुत करेगा ।

उपर्युक्त शर्तो की पालना नहीं करने पर स्थायी अनापत्ति प्रमाण–पत्र को प्रत्याहरित कर लिया जायेगा।

आयुक्त,
कॉलेज शिक्षा, राज0, जयपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1. विशिष्ट सहायक, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर ।
2. निजी सचिव, अति0 मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
3. जिला कलेक्टर, सीकर।
4. कुल सचिव, पं0 दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर।
5. सचिव, सम्बन्धित महाविद्यालय ।
6. सांख्यिकी शाखा, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
7. रक्षित पत्रावली

SECRETARY
Shri Bhagwan Das Todi College
LACHHMANGARH (Sikar)

संयुक्त–निदेशक (नि0सं0)
कॉलेज शिक्षा, राज0, जयपुर

पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर

Pandeet Deendayal Upadhyaya Shekhawati University, Sikar

वेबसाईट: www.shekhauni.ac.in ई–मेल: reg.shekhauni@gmail.com

F: No.-P9 (2) Affiliation-Acad./2024-25/ 26434 Date : 03-09-2024

To,

Principal,
Shri Bhagwan Das Todi P.G. College,
Lachhmangarh, Distt.-Sikar
(College Code – 385)

Subject : Extension in Provisional Affiliation for the Session 2024-25.

Dear Sir/Madam,

With reference to your application for the purpose mentioned above. I am directed to inform you that Hon'ble Vice-Chancellor has been pleased to grant extension in provisional affiliation to your college for Academic Year 2024-25 in the following courses on the basis of NOC received from State Government:-

Faculty	Subjects	No of Seats
B.A.	Hindi, English, Pol. Science, History, Sociology, Economics, Geography, Phy. Education.	540
BSc (Bio & Math Gp)	Chemistry, Botany, Zoology.	240
	Physics, Chemistry, Maths.	360
M.A.	Geography, English Literature.	40 per subject
M.Sc.	Maths , Zoology, Chemistry, Botany.	40 per subject

Above extension is subject to fulfillment of all the conditions and norms prescribed by the UGC, State Government and the University. **If the prescribed norms are not fulfilled, the provisional affiliation will be withdrawn by this University.**

Registrar

F: No.-P9 (2) Affiliation-Acad./2024-25/26435-437 Date : 03-09-2024

Copy forwarded for information and necessary action to :

1. The Commissioner, College Education, Shiksha Sankul. J.LN. Marg, Govt. of Rajasthan Jaipur.
2. The Controller of Examination, Pandit Deendayal Upadhyaya Shekhawati University Sikar.
3. P.S. to V.C., Pandit Deendayal Upadhyaya Shekhawati University Sikar.
4. Guard File.

Dy. Registrar (Acad.)

पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर
Pandeet Deendayal Upadhyaya Shekhawati University, Sikar
वेबसाइट: www.shekhauni.ac.in ई-मेल: reg.shekhauni@gmail.com

F: No.-P9 () Affiliation-Acad./2024-25/ 27998 Date : 12-12-2024

To,

Principal,
Shri Bhagwan Das Todi P.G. College,
Lachhmangarh, Distt.-Sikar
(College Code – 385)

Subject : Extension in Provisional Affiliation for the Session 2024-25.

Dear Sir/Madam,

With reference to your application for the purpose mentioned above. I am directed to inform you that Hon'ble Vice-Chancellor has been pleased to grant extension in provisional affiliation to your college for Academic Year 2024-25 in the following courses on the basis of NOC received from State Government:-

Faculty	Subjects	No of Seats
B.Com.	ABST, EAFM, Bus. Admn.	120

Above extension is subject to fulfillment of all the conditions and norms prescribed by the UGC, State Government and the University. **If the prescribed norms are not fulfilled, the provisional affiliation will be withdrawn by this University.**

Registrar

F: No.-P9 () Affiliation-Acad./2024-25/ 28001 Date : 12-12-2024

Copy forwarded for information and necessary action to :
1. The Commissioner, College Education, Shiksha Sankul. J.LN. Marg, Govt. of Rajasthan Jaipur.
2. The Controller of Examination, Pandit Deendayal Upadhyaya Shekhawati University Sikar.
3. P.S. to V.C., Pandit Deendayal Upadhyaya Shekhawati University Sikar.
4. Guard File.

Dy. Registrar (Acad.)